



कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इन्दौर (म.प्र.)

(E-mail:- jscjind@mp.gov.in, cijndore@gmail.com Phone/Fax No. 0731-2540020)



सी.सी.टी.वी. सिस्टम के रख-रखाव हेतु ए.एम.सी. 2024-25 की निविदा शर्तें

1. निविदा की कार्यवाही मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित-2022) के प्रावधान के अंतर्गत ई-टेण्डर के माध्यम से की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रू. 500 एवं 5 लाख से अधिक रू. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056-जेलें-800 अन्य प्राप्तिपत्रों में करना होगा।
3. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करना होगा-

क्र.	कार्य का विवरण	कुल लागत	03 % बयाने की राशि
1.	केन्द्रीय जेल इन्दौर पर स्थापित सी.सी.टी.वी. सिस्टम का वार्षिक रख-रखाव अनुबंध	8,80,000 / -	26,400 / -

- I. आधार कार्ड पेन कार्ड।
 - II. निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन का वैध प्रमाण-पत्र।
 - III. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का CCTV कैमरा संबंधित उपकरणों एवं तकनीकी सह उपकरणों की खरीद फरोख्त तथा सुधार कार्य से संबंधित नगर पालिका/निगम/परिषद का व्यवसायिक लायसेंस प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त संस्थानों द्वारा लायसेंस प्रदाय नहीं किया जाता, तो इस संबंध में उक्त संस्था का व्यवसायिक लायसेंस जारी न करने के संबंध में स्पष्ट पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - IV. CCTV उपकरणों के रख-रखाव एवं इनके कार्य संबंधी तकनीकी विशेष ज्ञान रखने वाले एवं इस संबंध में किसी मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को तकनीकी निविदा में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - V. जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - VI. निविदा जारी होने की तिथि से विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न।
 - VII. निविदा जारी होने की तिथि से विगत त्रैमासिक (Quarterly) अथवा मासिक जमा करने की स्थिति में पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न।
 - VIII. निविदा शर्त 11 के अनुसार सी.ए. से प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र।
 - IX. निविदा शर्त 10 के अनुसार शासकीय विभागों से विगत 03 वर्ष का सी.सी.टी.वी. सिस्टम संबंधी कार्य अनुभव। जेल विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य शासकीय विभाग का कम से कम एक वर्ष का कार्य के अनुभव के अभिलेख।
4. निविदाकार की निविदा प्रपत्र पर सील, जिसमें फर्म का पूरा पता एवं विवरण हो, अंकित होना

5. निविदा प्रपत्र में चाही गई जानकारी स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरों में उल्लेख की जानी चाहिए। अधूरी जानकारी वाली निविदा अपूर्ण मानी जाएगी तथा इस प्रकार की अपूर्ण निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
6. फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर का पूरा पता, संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता मोबाईल नंबर सहित, निविदा में उल्लेखित होना चाहिए।
7. तकनीकी मापदंड के रूप में संबंधित जेल पर स्थापित सर्विलेंस सिस्टम के CCTV कैमरों, सामग्री व सह उपकरण जेलों द्वारा जारी सूची अर्थात परिषिष्ट-सी का यथा स्थिति में निविदाकर्ता अवलोकन कर ले, ताकि बाद में उनके रख-रखाव में कोई असमंजस/विवाद की स्थिति निर्मित न हो। इस हेतु संबंधित जेल में से कार्यालयीन समय 11 से 17 बजे तक दिनांकमें संपर्क कर सर्वे कर सकते हैं।
8. CCTV सर्विलेंस सिस्टम के रख-रखाव हेतु निविदाकार फर्म का स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल पर ऑन साईट सपोर्ट होना अनिवार्य है ताकि सिस्टम में खराबी आने पर फर्म के प्रतिनिधि आसानी से तुरंत उपलब्ध होकर ठीक कर सकें। खराबी की स्थिति निर्मित न हो और सिस्टम बेरोकटोक निरंतर रूप से कार्य करता रहे, इस हेतु निविदाकार फर्म को सी.सी.टी.वी. तंत्र के समुचित रख-रखाव के लिए निविदा के साथ एक नियोजित निवारक रखरखाव कार्ययोजना (Planned Preventive Maintenance Schedule) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें इसकी संपूर्ण प्रक्रिया और परिषिष्ट-डी पर दी गई जानकारी का विस्तृत विवरण समाहित होगा। साथ ही निविदाकार निविदा के साथ एक वार्षिक कैलेंडर परिषिष्ट-ई पर तालिका अनुसार प्रस्तुत करेंगे, जिससे CCTV तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिए विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक) निवारक रख-रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।
9. निविदा में फर्म की किसी भी प्रकार की अन्य शर्त मान्य नहीं होगी, अर्थात सषर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. फर्म का विगत 03 वर्ष का CCTV के प्रतिस्थापित करने या रख-रखाव का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसमें से कम से कम 01 वर्ष का जेल विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी पुलिस इकाईयों/अर्धसैनिक बलों/षासकीय संस्थानों में CCTV के रख-रखाव संबंधी कार्य करने के कार्यदेश की छायाप्रति संलग्न करें।
11. निविदा करने वाली फर्म का पिछले 03 वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओव्हर रूपये 01 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

12. सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत जो भी उपकरण, कैमरे के द्वारा चित्र लेने से लेकर उसके टेलीवीजन पर डिस्प्ले तक के मध्य आते हैं, सभी ए.एम.सी. में सम्मिलित होंगे। इसमें विद्युत से लेकर CCTV उपकरण तक, इससे संबंधित विद्युत कार्य व उपकरण भी शामिल होंगे।
13. सामान्य रख-रखाव के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कार्य न करने वाले कैमरों व उपकरणों को नवीन लगाकर या मरम्मत कर पुनः चालू करना होगा। इसके अतिरिक्त समस्त टूट-फूट/खराबी, पूर्व से अथवा प्राकृतिक कारणों से आती है, ए.एम.सी. में शामिल होगी।
14. रख-रखाव के अंतर्गत जो भी हिस्से-कलपुर्जे लगाये जाएं, वे भी Original Equipment Manufacturer (O.E.M) के होने चाहिए।
15. सर्विलेंस सिस्टम के सुधार में जो भी अतिरिक्त सामग्री लगेगी, उसका व्यय भार फर्म को ही वहन करना होगा, जिसका पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. वार्षिक रख-रखाव के संबंध में भुगतान, कार्य के उपरांत प्रति तिमाही की अंतिम तिथि के बाद किया जाएगा। आहरण एवं भुगतान प्रक्रिया में शासकीय व्यवधानों के कारण फर्म के भुगतान में विलंब भी हो सकता है, विलंब के लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. सफल निविदाकार को आदेश प्राप्त के 07 दिवस के अंदर स्थापित सभी कैमरों को दुरुस्त कर चालू हालत में करना होगा, अन्यथा ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.2 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से राशि का कटौत किया जाएगा।
18. ए.एम.सी. अवधि के अंतर्गत यदि कैमरों का संपूर्ण डिस्प्ले बंद होता है, और उसे 24 घंटे में नहीं सुधारा जाता, तो 24 घंटे पश्चात, ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से ए.एम.सी. की राशि का कटौत किया जाएगा।
19. अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात, विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत निविदाकार की सेवाएं संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में, अनुबंध तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है इस हेतु निविदाकार को परिशिष्ट-ई में पूर्ण निविदा अवधि की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।
20. सफल निविदाकार को मुख्यालय भोपाल द्वारा दिए गये प्रारूप के अनुसार वार्षिक अनुबंध पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टैंप पेपर पर नियमानुसार तैयार करवाकर देना होगा।
21. निविदा की प्रतिभूति (ई.एम.डी.) निविदा मूल्य की 03 प्रतिशत जमा करना होगी। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति होने के उपरांत प्रदाय आदेश जारी होने पर अनुबंध-पत्र के साथ सामग्री के कुल मूल्य की 03 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगी जिसकी अवधि अनुबंध के 60 दिवस के बाद तक वैध होना चाहिए।
22. संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को संबंधित स्थान से मरम्मत हेतु बाहर ले जाने के पूर्व, उसके बदले में मरम्मत होने तक "स्टैंड बाय" सामग्री देनी होगी, जिससे कि सिस्टम यथावत चालू रहे।

23. संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को मरम्मत हेतु संबंधित स्थान से ले जाने एवं लाने के लिए किसी प्रकार का किराया फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा। संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री के मरम्मत हेतु अधिकार उपयोग में आने वाले कैमरा, रेडियो लिंक, डिवाइस तथा अन्य उपकरणों के स्पेयर कॉम्पोनेन्ट्स की सूची उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा एवं इस सूची अनुसार स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल साईट पर स्टैंड बाय स्टॉक रखा जाना आवश्यक है।
24. यदि PTZ अथवा फिक्स कैमरा सामने कोई व्यवधान उत्पन्न होता है जिसके कारण कैमरे की क्षमता पर असर आता है तो उसे दूर करने की जवाबदारी निविदाकर्ता फर्म की होगी।
25. यदि किसी कारण से कैमरे को हटाया जा कर पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसका अलग से शुल्क देय नहीं होगा। कैमरे को प्रतिस्थापित करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
26. निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
27. अनुबंध होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा सर्विलेंस सिस्टम के रखरखाव संबंधी कार्य बिना किसी कारण के बीच में बंद किया जाता है, तो एक तरफा कार्यवाही करते हुए फर्म की धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी। उसके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा। वार्षिक रख-रखाव अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। उस फर्म का नाम काली सूची में अंकित किया जाएगा, जिसके पूर्ण अधिकार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होंगे।
28. जेल अधीक्षक के आदेश से व्यथित कोई भी निविदाकार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
29. वित्तीय-निविदा में दर्शायी गयी राशि समस्त करों सहित होनी चाहिए।
30. सी.सी.टी.वी. उपकरणों के रख-रखाव में निविदाकार द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी, उन्हें सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा-उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा। सी.सी.टी.वी. उपकरणों के रख-रखाव के दौरान यदि कोई घटना-घटित होती है, तो कर्मचारियों की सुरक्षा एवं दायित्वों की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
31. निविदाकार द्वारा सी.सी.टी.वी. उपकरणों के रख-रखाव हेतु सर्विस देने वाले कर्मचारियों का पुलिस-वेरीफिकेशन कराना होगा, इस हेतु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात जो भी कर्मचारी जेल पर भेजे जाएंगे, उन कर्मचारियों का पुलिस-वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र-प्रस्तुत करना होगा।

**CENTRAL JAIL INDORE, MADHYA PRADESH
(TO BE FILLED UP BY THE TENDERER)**

1.	Name & full address of the firm.	
2.	Registered office with address.	
3.	Income tax PAN no.	
4.	Sales tax registration number and Sale Tax Clearance Certificate of last financial year.	
5.	Whether proprietorship/ limited company or private Ltd. or partnership.	
6.	If single proprietor, name and address of the proprietor.	
7.	If partnership firm, name and address of the partners.	
8.	If private Ltd or public company, then name and address of directors.	
9.	Whether you have any shop & service center in m.p. if so detail address of the same.	
10.	Name and address of the persons who will represent the firm while dealing with the jail headquarters.	
11.	Turnover for the last three years.	
12.	Supplies to government departments in last Three years. (Please enclose purchase order copies)	

Signature and Seal of Tenderer

 

CENTRAL JAIL INDORE, MADHYA PRADESH

(Tender Notice No-----)

TENDER FORM

1. Subject:- Tender for-----
(Mention the name of the articles for which the tender is submitted)
2. Name and full address of the firm submitting the tender.

3. Address to :- The suppt. of jail of madhya pradesh ,-----
4. Reference :- This is with reference to Tender No----- Date-----
5. Tender fee amounting to Rs.-----has been deposited vide Challan No.-----
-----dated ----- for Rs. -----
6. We agree to able by all conditions mentioned in Tender Notice No----- issued by the suppt. of jail, madhya pradesh ----- and also the general and specific terms and conditions as annexed with said tender notice and as given in the attached sheets, all the pages of which have been signed in the margin, by us in token of our acceptance of the terms and conditions there in.
7. Our rates of the supply of ----- are as under (Mention the name of the each article and its quantity for which tender is submitted rate quoted should be in figures as well as in words)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
8. We further, agree to deliver mentioned stores within a period of 1 year, form the date of receipt of firm order.
9. We confirm that the rates quoted above are valid up to 1 year.
10. Draft No. ----- Dated----- Rs. -----(Rs.-----)In favour of the Suppt. Of Jail, Madhya Pradesh -----on -----(Mention the name of the Bank) is enclosed here with to cover Earnest money.

**SIGNATURE OF PROPRIETOR/MANAGER
REPRESENTATIVE OF THE FIRM ON BEHALF
OF THE FIRM GIVING TENDER**

 

परिशिष्ट-सी

केन्द्रीय जेल इन्दौर में स्थापित सी.सी.टी.वी. उपकरणों का विवरण एवं मूल्य—

CENTRAL JAIL INDORE, LIST OF EQUIPMENTS

S.N.	Item description	Make & model	Qty.	Year of establishment
A.	36x optical zoom PTZ IP camera with outdoor (IP 66) with IR (150 mtr.)	Honeywell-HSD-361 IPW-NET	06	2012-2013
B.	3 megapixel/high defination static camera with megapixel DC iris 2.4 to 6.0 mm lense and IP 66 housing and mounting with IR (30 to 50 mtr.)	Honeywell-HICC-1100T	20	2012-2013
C.	Camera license minimum 100 cameras and minimum 10 client license	Honeywell-VMS	01	2012-2013
D.	Wireless link with antenna	Microtek/Ubiquiti	AS per Site Requirement	2012-2013
E.	Video management server	Honeywell-HUS-VMS-MAS	01	2012-2013
F.	Recording server with 7 days recording back-up	Honeywell-HUS-NVR-5100 AMAS	01	2012-2013
G.	Client pc	HP	03	2012-2013
H.	Lcd 32" for server		02	2012-2013
I.	Lcd 46" for monitoring	LG	07	2012-2013
J.	1 kva online ups (outdoor) for cameras and wireless link for power backup of 1 Hr.	Numeric	AS per Site Requirement	2012-2013
K.	Power backup for control rooms 5 kva online ups (n+1). Redunadant with 1 Hr.	Numeric	01	2012-2013
L.	Air conditioner 2.5 ton for control room	LG	01	2012-2013

Total Value Of Equipment RS. 80,87,000/-




Note : 01- In the year 2016, as per the orders of **Jail Head Quarter Bhopal (M.P.)** the following additional Camera's, Led Tv and other accessories costing **Rs. 5,00,000/- (five lakhs)** were also purchased and established :-

- I. 03 unit 36 × Optical Zoom PTZ IP Camera with Outdoor (IP 66) with IR (150 mtr. with all accessories).
- II. 01 unit High Definition IP Bullet Camera 3 Megapixel with 6.0 mm Lense and 30 metre IR range with all accessories.
- III. 01 unit 32'' Led TV with Full HD Display.

Note : 02- In the year 2019, following additional Camera's, Led Tv and other accessories were also established at Entrance Complex. :-

- I. 07 unit IP based FIXED LENS true day/night Camera (IP 66) with IR LED 20-25m range, 1.3 Mega pixel.
- II. 01 unit 32'' LCD MONITOR .

Note : 03- As per the AMC'S for the previous years i.e 2019-20, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 many equipments were either repaired or replaced from the above mentioned C.C.T.V. system. Therefore, before filing tender for the year 2023-24, tenderer's are requested to take site inspection of the complete establishment (C.C.T.V. system) at CENTRAL JAIL INDORE.

Note : 04- **Total Value Of all Equipment Rs. 88,51,055.50/-**

Note : 01- In the year 2016, as per the orders of **Jail Head Quarter Bhopal (M.P.)** the following additional Camera's, Led Tv and other accessories costing **Rs. 5,00,000/- (five lakhs)** were also purchased and established :-

- I. 03 unit 36 × Optical Zoom PTZ IP Camera with Outdoor (IP 66) with IR (150 mtr. with all accessories).
- II. 01 unit High Definition IP Bullet Camera 3 Megapixel with 6.0 mm Lense and 30 metre IR range with all accessories.
- III. 01 unit 32'' Led TV with Full HD Display.

Note : 02- In the year 2019, following additional Camera's, Led Tv and other accessories were also established at Entrance Complex. :-

- I. 07 unit IP based FIXED LENS true day/night Camera (IP 66) with IR LED 20-25m range, 1.3 Mega pixel.
- II. 01 unit 32'' LCD MONITOR .

Note : 03- As per the AMC'S for the previous years i.e 2019-20, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 many equipments were either repaired or replaced from the above mentioned C.C.T.V. system. Therefore, before filing tender for the year 2023-24, tenderer's are requested to take site inspection of the complete establishment (C.C.T.V. system) at CENTRAL JAIL INDORE.

Note : 04- **Total Value Of all Equipment Rs. 88,51,055.50/-**

नियोजित निवारक रख रखाव कार्ययोजना का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार द्वारा
प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तृत तौर पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

1. निवारक रख रखाव के अंतर्गत उपकरणों के ओ.ई.एम. द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार की जांच की जानकारी/सूची।
2. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख रखाव का इन्स्पेक्शन प्लान एवं कार्य शेड्यूल।
3. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख रखाव का प्रत्येक उपकरण की जांच के रिकार्ड रखने के फॉर्म का प्रकार।
4. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख रखाव से सम्बंधित सभी एस.ओ.पी (Standard Operating Procedure)
5. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निविदाकार द्वारा प्रस्तावित/वर्तमान में संचालित सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के पूर्व के रख रखाव के अनुभव एवं रिकार्ड।
6. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों में होने वाली तकनीकी त्रुटियों की पूर्व के अनुभव की जानकारी/डेटा जिसके आधार पर निवारक रख रखाव का प्रस्ताव आवेदक द्वारा तैयार किया गया है।
7. सी.सी.टी.वी तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों को बनाने वाली कम्पनियों द्वारा प्रत्येक उपकरण के बारे में अग्रेषित "निवारक रख रखाव योजना" एवं इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक उपकरण की जांच की जानकारी/सूची (Maintenance Manual/ Operational Manual)
8. निवारक रख रखाव योजना के अंतर्गत प्रस्तावित जांच में प्रयोग में लिये जाने वाले यूजर मेन्युअल इत्यादि की प्रति/जानकारी।
9. सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के समुचित रख रखाव के लिये आवश्यक तकनीकी कलपुर्जों की उपलब्धता सभी जेलों में सही समय सुनिश्चित किये जाने हेतु निविदाकार द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी।
10. सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की जांच करने के लिये आवश्यक, समुचित विशेषग्यता रखने वाले तकनीकी मानव संसाधनों की व्यवस्था आवेदक द्वारा किये जाने के बारे में विस्तृत जानकारी एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की जानकारी।
11. सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की जांच करने के लिये उपयोग में लिये जाने वाले प्रस्तावित टेस्ट उपकरणों की सूची।

12. सी.सी.टी.वी तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की निवारक रख रखाव योजना के अंतर्गत की जाने वाली जांच की रिपोर्ट को जेल अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिये प्रयोग में लिये जाने वाले प्रस्तावित "रिपोर्ट फॉर्म" की प्रति (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/कोई अन्य जांच)
13. सी.सी.टी.वी. तंत्र के सुचारु कार्य करने एवं इसके रख रखाव के बारे में इन उपकरणों को प्रयोग में लेने वाले जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके अभिमत (Feed back) को प्राप्त करने की कार्य प्रणाली एवं इसके लिये प्रयोग में लेने के लिये प्रस्तावित फॉर्म इत्यादि का विवरण एवं प्रकार।
14. सी.सी.टी.वी तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की करने वाली जांच/टेस्ट रिजल्ट के डेटा का रिकार्ड रखने के प्रारूप की प्रति।
15. सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के कार्य करने की अवधि (Life of Equipment) जो कि इन उपकरणों के ओ.ई.एम. द्वारा अनुमोदित की गयी हो।
16. सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों में उपयोग में लिये जा रहे Software Program के समय-समय पर जारी किये जाने वाले पैच को अप्लाइ करने की प्रक्रिया का विवरण।

केन्द्रीय जेल इन्दौर में स्थापित सी.सी.टी.वी. तंत्र के नियोजित निवारक रख रखाव का वार्षिक कैलेन्डर

1. निविदाकार रख रखाव के लिये वार्षिक कैलेन्डर निम्न तालिका के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। इस तालिका में सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिये विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक) निवारक रख रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।

उपकरण की जांच के प्रकार	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	अर्धवार्षिक	कोई अन्य
सी.सी.टी.वी. तंत्र के उपकरण					
पी टी. जेड कैमरा					
फिक्स कैमरा					
एल.सी.डी. टेलीविजन					
सर्वर					
स्टोरेज सर्वर					
बैक-अप सर्वर					
बैक-अप स्टोरेज सर्वर					
ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर					
वीडिओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर					
नेटवर्क स्विच					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का आर.एफ. उपकरण					
नेटवर्क केबल					
कैमरे का फील्ड बॉक्स					
कैमरे के फील्ड बॉक्स में लगे उपकरण					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का यू.पी.एस.					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का एयर कंडीशनर					
सर्वर की रैक					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का और कोई अन्य उपकरण					

2. उपकरणों पर किये जाने वाले जांच कार्य : निविदाकार सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिए विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक) "निवारक रख-रखाव" गतिविधियों एवं उनके अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न जांच कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन जांच कार्यों की जानकारी निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की जायेगी। सी.सी.टी.वी. तंत्र के किसी उपकरण के लिये यदि पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक में से किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होने की अनुशंसा आवेदक द्वारा प्रस्ताव में की जाती है तो आवेदक द्वारा उस जांच प्रकार के साथ "आवश्यक नहीं" लिखा जाएगा।

A. पी.टी.जेड. कैमरा

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

B. फिक्स कैमरा

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

C. एल. सी. डी. टेलिविजन

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

D. सर्वर

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

E. स्टोरेज सर्वर

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

 

M. कैमरे का फील्ड बॉक्स

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

N. कैमरे के फील्ड बॉक्स में लगे उपकरण

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

O. सी.सी.टी.वी. तंत्र का यू.पी.एस.

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

P. सी.सी.टी.वी. तंत्र का एयर कंडीशनर

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

Q. सर्वर की रैक

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

R. सी.सी.टी.वी. तंत्र का कोई अन्य उपकरण

- I. पाक्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- II. मासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- III. त्रैमासिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण
- IV. अर्द्धवार्षिक जांच के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का सूचीवार विस्तृत विवरण

S. सायबर सिक्योरिटी के प्रावधानों की विस्तृत जांच

3. जांच के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची : निविदाकार द्वारा सी.सी.टी.वी. तंत्र के उपकरणों के लिये अनुशंसित उपरोक्त सभी प्रकार की जाँचों में उपयोग में आने वाले जाँच उपकरणों की सूची इस प्रस्ताव में प्रस्तुत की जायेगी।

 

शपथ पत्र—अ

(कारागर अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं.....जो केन्द्रीय जेल इन्दौर
के लिये सामग्री/सेवायें प्रदाय हेतु फर्मकी ओर से
निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म
..... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश के जेल
विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

.....

शपथ पत्र—ब

मैं.....जो केन्द्रीय जेल इन्दौर
के लिये सामग्री/सेवायें प्रदाय हेतु फर्मकी ओर से
निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म
..... के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर
रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

.....